


उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या: 791/XXIII/2013/04(02)/2013
देहरादून: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना संख्या-779/XXIII/2013 दिनांक-26 दिसम्बर, 2013 द्वारा आबकारी नीति वर्ष 2013-14 में प्राविधानित प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर में विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए आवेदन की पात्रता एवं प्रक्रिया निर्धारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2013 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 150 प्रतियां आबकारी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी विभाग

संख्या: 779 / XXIII / 2013 / 04(02) / 2013

देहरादून: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-01, सन् 1904) की धारा 21 सपठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 04 सन् 1910) (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स / डिपार्टमेंटल स्टोर के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2013

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स / डिपार्टमेंटल स्टोर के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2013 है।
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) मॉल्स:-

“शॉपिंग मॉल्स” से पूर्णतः आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण ईमारत या ईमारतों का समूह जो एक दूसरे से जुड़े हों, ग्राहकों की आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराते हों एवं जिनके परिसर में ही पार्किंग के लिये पर्याप्त स्थान हो, के रूप में की जा सकती है, अभिप्रेत है;

(एक) “प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स” से परिसर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसे कमर्शियल काम्प्लैक्स जिनमें दुकानें एवं फूडकोर्ट सम्मिलित हैं, जिन्हें सामान्य बोल-चाल की भाषा में शॉपिंग मॉल कहा जाता है, अभिप्रेत है;

(दो) प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स के लिये कम से कम 400 वर्ग फीट कार्पेट एरिया का परिसर आवश्यक होगा, जो मॉल की सामान्य रूप से निर्मित दुकान में होगा तथा क्योस्क (Kiosk) अथवा अस्थाई ढांचे (Temporary Structure) में नहीं होगा। किसी मॉल में 15 दुकानों तक दो मदिरा की दुकानें व 15 दुकानों से अधिक होने पर अधिकतम 03 मदिरा की दुकानों को अनुज्ञापन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर दिया जा सकेगा।

(2) डिपार्टमेंटल स्टोर :-

डिपार्टमेंटल स्टोर से ऐसे स्टोर अभिप्रेत है, एक बड़ी दुकान तथा जिसमें अलग-अलग प्रकार के सामानों/वस्तुओं की बिक्री की जाती हो, जिन्हें सामान्य बोल-चाल की भाषा में डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जाता हो एवं जिनके स्वयं के परिसर में ही पार्किंग की व्यवस्था हो।

(1) प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स डिपार्टमेंटल स्टोर के लिये कम से कम 1000 वर्ग फीट कार्पेट एरिया का परिसर आवश्यक होगा, जिसमें एक कार्यालय की व्यवस्था हो।

(3) अधिनियम :-

“अधिनियम” से समय-समय पर संशोधित संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) अभिप्रेत है;

(4) विदेशी मदिरा :-

“विदेशी मदिरा” से भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा जिससे कि वह सुगंध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हो, से है और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, वोदका, मदिरा (लिक्यूअर) सम्मिलित है। इससे भारत या विदेश में निर्मित वाईन भी सम्मिलित अभिप्रेत है;

(5) आबकारी वर्ष :-

“आबकारी वर्ष” से किसी कैलेण्डर वर्ष के 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है;

(6) परिवार :-

“परिवार” से दम्पति (पति या पत्नी), पुत्र, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता अभिप्रेत है;

(7) प्रपत्र-

“प्रपत्र” से इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(8) लाइसेंस प्राधिकारी -

“लाइसेंस प्राधिकारी” से सम्बन्धित जिले का कलेक्टर अभिप्रेत है;

(9) लाइसेंस फीस -

“लाइसेंस फीस” से किसी प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स में विदेशी मदिरा के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लाइसेंस प्रदान करने हेतु लाइसेंस फीस के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख) अभिप्रेत है;

(10) राज्य :-

“राज्य” से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।

फुटकर बिक्री के लिये 3.
अनुज्ञापनों का
व्यवस्थापन

इस नियमावली और प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर की लाइसेंस फीस की धनराशि के संदाय के अधीन रहते हुए लाइसेंसों का व्यवस्थापन निम्नवत किया जायेगा:-

(क) भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र वि० म०-5(म)/5(डी०एस०) में स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) लाइसेंस फीस सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके किसी भाग के लिये आबकारी आयुक्त समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से अधिनियम की धारा 24-क के अधीन निर्धारित करेगा।

h

- प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/
डिपार्टमेन्टल स्टोर के
लिये आवेदन-पत्र
- लाइसेंस की अवधि
- लाइसेंस प्रदान किया
जाना
- आवेदकनकर्ता हेतु
पात्रता की शर्तें
4. आवेदक प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/
डिपार्टमेन्टल स्टोर के लिये निर्धारित प्रपत्र जी-28 में आवेदन-पत्र
प्रस्तुत करेगा। ।
5. लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष या उसके भाग, जिसके
लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, के लिये होगी। लाइसेंस का
नवीनीकरण लाइसेंसधारी की सहमति से अगले आबकारी वर्ष या वर्ष
के भाग के लिये ऐसे निबन्धन और शर्तों पर किया जा सकेगा, जैसा
राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।
6. इस नियमावली के अधीन नियत लाइसेंस फीस के संदाप पर
लाइसेंस प्रदान किया जायेगा।
7. (1) प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के
लाइसेंस के लिये आवेदक -
(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) कोई ऐसी कम्पनी हो जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन
पंजीकृत हो, या
(ग) कोई ऐसी भागीदारी फर्म हो जो भागीदारी अधिनियम, 1932 के
अधीन पंजीकृत हो, या
(घ) ऐसी कोई फर्म जो समिति पंजीकरण अधिनियम, 1965 के अधीन
पंजीकृत हो, या
(ज) कोई पंजीकृत एक मात्र स्वत्वधारी फर्म हो,
(क) आवेदनकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक हो;
(ख) अधिनियम के अधीन बनायी गई किसी नियमावली के
उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंसधारण करने के लिये
ऐसा व्यक्ति हो जो व्यतिक्रमी/काली सूची में न हो या
विवर्जित न किया गया हो, परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति
जो किसी आबकारी अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया गया हो,
लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक
कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से
दोषमुक्त न कर दिया जाय।
(ग) निम्नलिखित की पुष्टि में आवेदक पब्लिक नोटरी द्वारा
सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा,
अर्थात्:-

(एक) यह उसके पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश
आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के
उपबन्धों के अनुसार शॉपिंग मॉल/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी
मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्डस खोलने के लिये उपयुक्त परिसर
की व्यवस्था है या उसके या परिसर के स्वामी का सहमति पत्र
अथवा ऑफर अथवा पट्टा विलेख उसके पास उपलब्ध है।

✓

(दो) यह कि उसकी दुकान का प्रस्तावित परिसर किसी विधि या तदधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में निर्मित नहीं है।

(तीन) यह कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला जहां का वह निवासी है, के जिलाधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के तीस दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे विक्रेता को नियोजित नहीं करेगा जिसकी उपरोक्त खण्ड (तीन) में उल्लिखित कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जो किसी संक्रामक या छुआ-छूत रोग से ग्रसित हो या उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो।

(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

(घ) यह कि आवेदक द्वारा जिला आबकारी अधिकारी या जिलाधिकारी के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया, रूपये 50,000/- की सावधि जमा (एफ0डी0आर0) प्रतिभूति धनराशि के रूप में प्रस्तुत कर दिया हो।

लाइसेंसधारी का
चयन

8.

जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों के आवश्यक सत्यापन के पश्चात् एक सूची तैयार करेगा और इन आवेदनों की सूची लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। लाइसेंस प्राधिकारी आवेदन पत्र पर यथावश्यक परीक्षण कराकर उक्त प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के सृजन हेतु आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव प्रेषित करेगा। आबकारी आयुक्त से नवसृजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर नियत लाइसेंस फीस जमा कराकर आवेदक के पक्ष में तत्काल लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।

लाइसेंस फीस की
धनराशि का जमा
किया जाना

9.

यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है, तो वह चयन की सूचना प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर नियत लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर देगा। यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन रद्द हो जायेगा और उसकी प्रतिभूति की धनराशि रू0 50,000/- राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी एवं उक्त आवेदक को काली सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

h

- व्यवस्थित की गयी
दुकान का विवरण
10. जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 10 दिन के भीतर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों के नाम व पते तथा जमा की गयी लाइसेंस फीस की जमा धनराशि का विवरण होगा।
- विक्रीत की जाने
वाली विदेशी मदिरा
11. लाइसेंसधारी राज्य द्वारा निर्धारित ई०डी०पी० रूपये 300/- (प्रतिमान्य क्वार्ट बोतल 750 एम०एल०) से अधिक की ई०डी०पी० की मदिरा की बिक्री करेगा।
एफ०एल०-05(एम)/एफ०एल०-05 (डीएस) से किसी भी धारिता की बोतलों में बिक्री की जा सकेगी, रूपये 300/- प्रति बोतल (750 एम०एल०) ई०डी०पी० की गणना उक्त धारिता के 750 एम०एल० प्रति मान्य क्वार्ट बोतल के समतुल्य आधार पर की जायेगी। दुकान के परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।
- मदिरा का उठान
12. इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर भी सम्मिलित हैं, जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, करने के पश्चात् जनपद के थोक लाइसेंस धारक (वि०म०-2/2 डब्लू/2एस) अनुज्ञापी से विदेशी मदिरा/वाईन की आपूर्ति बारों को निर्धारित एम०जी०डी० दर पर प्राप्त कर सकेगा। अनुज्ञापी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो कि आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करायेगा। स्कॉच/वाईन के आयात हेतु उत्तराखण्ड में प्रचलित उत्तराखण्ड के अधिसूचित क्षेत्र में समुद्र पार विदेशी मदिरा का आयात (Import of Overseas Foreign Liquor in Scheduled areas in Uttranchal) से सम्बन्धित नियम प्रवृत्त होंगे।
- विक्रय मूल्य
13. विदेशी शराब की बोतलों के लेबिलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य से कम दर पर मदिरा की बिक्री नहीं करेगा। अर्थात् एफ०एल०-05(एम)/एफ०एल०-05(डीएस) में न्यूनतम बिक्री मूल्य रहेगा।
- मदिरा की बिक्री एवं
बारकोड की व्यवस्था
14. प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हो जिसमें बारकोडिंग की व्यवस्था के साथ-साथ स्केनर की व्यवस्था आवश्यक होगी, जिससे कम्प्यूटर द्वारा भी दुकान के स्टॉक का रखरखाव व बिलिंग सुनिश्चित हो सके। एफ०एल०-05 (एम)/एफ०एल०-05(डी० एस०) अनुज्ञापी बिलिंग काउन्टर के पास मदिरा विक्रय मूल्य की सूची आवश्यक रूप से लगायेगा तथा उसमें सभी ब्राण्डों की धारितावार विक्रय मूल्य अंकित करेगा।
- बिक्री समय /दुकान
बन्दी के दिवस
15. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी(गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस अधिकारी द्वारा बन्दी के लिये यथा अधिसूचित दिवसों के अतिरिक्त सभी दिनों में राज्य सरकार द्वारा बारों हेतु निर्धारित समय तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून व्यवस्था

h

या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये सुसंगत कानूनों के प्रावधानों के अधीन "प्रीमियम रिटेल वैण्डस" शॉपिंग मॉल्स की बन्दी का आदेश दे सकेगा।

परन्तु यह कि प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/ डिपार्टमेन्टल स्टोर की बन्दी के लिये कोई प्रतिकर की धनराशि देय नहीं होगी।

लाइसेंस की अवधि की समाप्ति पर अविक्रीत स्टॉक

16. लाइसेंस अवधि समाप्ति पर अवशेष और अविक्रीत पाई गयी विदेशी मदिरा की मात्रा की घोषणा लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस समाप्ति के अगले दिन की जायेगी। ऐसे स्टॉक का निस्तारण आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

लाइसेंस का अभ्यर्पण

17. कोई लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 36 के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी को न्यूनतम एक माह की लिखित नोटिस के पश्चात् अपना लाइसेंस अभ्यर्पित कर सकेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर लाइसेंस प्राधिकारी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने और आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर अधिशेष धनराशि वापस करने की कार्यवाही करेगा।

लाइसेंस का निलम्बन व निरस्तीकरण

18 (1) लाइसेंस प्राधिकारी,

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोटल पाई जाती है, जिस पर देय राजस्व का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित एक्साइज एडहेसिव लेबिल/सिक्योरिटी होलोग्राम नहीं लगा है;

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य मदिरा या मादक औषधि (जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है या कोई अन्य व्यवसाय करते हुये पाया गया है;

(ग) यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध अनुज्ञापि के कब्जे से कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है;

(घ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र त्रुटिपूर्ण तथा कथन असत्य पाया जाता है;

(ङ) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध या स्वापक औषधियाँ एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया गया है।

(च) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोटल/कन्टेनर पाया जाता है जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित नहीं है एवं स्टीकर नहीं लगा पाया जाता है।


(छ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस असत्य नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंस धारण किये हुए हैं तो लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

h

(2) लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण एवम् समपहृत करने के लिये कारण बताओ नोटिस तामील करेगा। लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुनवाई के समुचित अवसर देते हुए सकारण आदेश पारित करेगा।

(3) यदि लाइसेंस निरस्त किया जाता है, तो लाइसेंसधारी को काली सूची में डाला जा सकेगा तथा उसे आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित भी किया जा सकेगा।




(डॉ० एस०एस०सन्धु)
प्रमुख सचिव

वि०म०-५(म)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोटलों में विदेशी मदिरा व वाइन के फुटकर बिक्री के लिए "प्रीमियम रिटेल वैण्डस" शॉपिंग मॉल्स / डिपार्टमेन्टल स्टोर लाइसेंस (नियम-७ के अन्तर्गत)

लाइसेंसजिला.....
 दुकान का नाम.....प्रीमियम रिटेल वैण्डस.....
 मोहल्ला.....थाना.....तहसील.....जिला.....
 लाइसेंस फीस रु(अंकों में).....(शब्दों में)
 प्रतिभूति धनराशि रु०(अंकों में).....(शब्दों में)
 परिसर का विवरण (चौहद्दी के साथ) भवनस्वामी का नाम व पूरा पता.....
 उत्तर :.....
 दक्षिण :.....
 पूरब :.....
 पश्चिम :.....

लाइसेंसधारी / लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....
 (2)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....
 (2)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....
 (3)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....
 (4)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....

परिसर के बाहर उपभोग के लिए मानक बोटलों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये प्रीमियम रिटेल वैण्डस का लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... (स्थान) पुलिस थाना.....तहसील..... के लिए दिनांक-----से 31 मार्च----- तक के लिये जिसके लिये नियम-७ के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस फीस की धनराशि निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

५

सामान्य और विशेष शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी, जनपद के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंस धारक (वि० म०-2/2डब्ल्यू/2 एस) अनुज्ञापी से विदेशी मदिरा/वाइन की आपूर्ति, समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, व उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।
- 2- अनुज्ञापी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करायेगा। स्कॉच/वाइन के आयात हेतु उत्तराखण्ड में प्रचलित उत्तराखण्ड के अधिसूचित क्षेत्र में समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात (Import of Oversease Foreign Liquor in Scheduled areas in Uttranchal) सम्बन्धित नियम प्रभावी होंगे।
- 3- विदेशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से कम मूल्य पर मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।
- 4- अनुज्ञापित परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।
- 5- एफ०एल०-05(एम)/एफ०एल०-05 (डीएस) से विदेशी मदिरा व बियर की फुटकर दुकान, बार एवं क्लब बार लाइसेंस में आपूर्ति/बिक्री की जाने वाली धारिता की बोतलों में बिक्री की जा सकेगी रूपये 300/- प्रति बोतल (750 एम०एल०) ई०डी०पी० की गणना उक्त धारिता के 750 एम०एल० प्रति मान्य क्वार्ट बोतल के समतुल्य आधार पर की जायेगी।
- 6- विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द धारिता की बोतलों में बिक्री की जायेगी और जिन पर समस्त करों के भुगतान के प्रमाण के रूप में एक्साइज एडहसिव लेबिल/सुरक्षात्मक होलोग्राम लगे हुए होंगे।
- 7- लाइसेंसधारी विहित रजिस्टर (एफ० एल०-25ए) जिसे कि भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, में नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
- 8- लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।
- 9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी मदिरा का अनुज्ञापित धारक, फुटकर बिक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी।
- 10- लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे विक्रेता को सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो।
- 11- 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।
- 12- लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में बोतलों या उनके लेबुलों, एक्साइज एडहसिव लेबिल/सुरक्षात्मक होलोग्राम मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।
- 13- लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चासनी), रंग, सुगंधि/अर्क होलोग्राम/श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकारक) सामग्री नहीं रखेगा।

- 14- लाइसेंसधारी के लिये अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।
- 15- अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस अधिकारी द्वारा बन्दी के लिए यथा अधिसूचित दिवसों के अतिरिक्त सभी दिनों में राज्य सरकार द्वारा बारों हेतु निर्धारित समय तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकेगा। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर धनराशि देय नहीं होगी।
- 16- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
- 17- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।
- 18- प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के अनुज्ञापित परिसर में देशी मदिरा या अन्य किसी पदार्थ का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।
- 19- प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर अनुज्ञापन में वे सभी नियम/उप नियम यथावत् प्रभावी रहेगे जो एफ0एल0-5डी दुकानों हेतु प्रभावी होंगे।

दिनांक

जिला.....

h

लाइसेंस प्राधिकारी